

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25022022-233751
SG-DL-E-25022022-233751असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 2022/फाल्गुन 6, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 475
No. 116]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2022/PHALGUNA 6, 1943	[N. C. T. D. No. 475

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 फरवरी, 2022

सं. फा. 6/28/2018—न्याय/पार्ट फा./अधी.वि./463-464.—जन साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है :-

“एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि अधिवक्ता अधिनियम (1961 का अधिनियम 25) तथा अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत बनाये गये दिल्ली विधिज्ञ परिषद् नियमों के अन्तर्गत दिनांक 11 फरवरी, 2022 को हुई अपनी बैठक में श्री राकेश कुमार कोचर, अधिवक्ता, निवासी सी-84, वैस्ट गोरख पार्क एक्सटेंशन, न्यू जाफराबाद, शाहदरा, दिल्ली-110084 को दिल्ली विधिज्ञ परिषद् के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है।

ओ. पी. फैज़ी, अध्यक्ष, चुनाव समिति, दिल्ली विधिज्ञ परिषद्

आदेश से,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय तथा विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 25th February, 2022

F. No. 6/28/2018-Judl./ P.F/Suptlaw/463-464.—The following is hereby published for general information of the public: -

“It is hereby notified that Mr. Rakesh Kumar Kochar, Advocate, resident of C-84, West Gorakh Park Extension, New Zafrabad, Shahdara, Delhi – 110084, has been declared elected as Vice-Chairman of the Bar Council of Delhi in its meeting held on 11th February, 2022 under the Advocates Act (Act 25 of 1961) and the Bar Council of Delhi Rules framed under section 15 of the Act.

O. P. FAIZI, Chairman Election Committee, Bar Council of Delhi”

By Order,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)